

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)



सूचना
का
अधिकार

371

क्रमांक प. 20(84) प्रसू/सूअप्र/2009पार्ट

जयपुर, दिनांक: 10.6.2019

परिपत्र

784/PS/SCB/M

Dated 18.6.19

इस विभाग के परिपत्र दिनांक 23.10.2017 के क्रम में ऐसा संज्ञान में आया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदकों को सूचना प्राप्त करने में कठिपय कठिनाईयां आ रही हैं। आम आवेदकों/संगठनों से यह शिकायत प्राप्त हो रही है कि कई विभागों के कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी व अपीलीय अधिकारियों के नाम एवं पदनाम का लेखन साईन बोर्ड लगा हुआ नहीं होने के कारण आमजनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई विभागों की वेबसाइट पर कार्यालय स्तर तक के लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के नामों की सूचना प्रदर्शित नहीं की हुई है या अद्यतन नहीं की हुई है और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) (बी) का मैन्युअल भी कई विभागों द्वारा तैयार नहीं किया गया है तथा वेबसाइट पर नहीं डाला गया है। आपसे पुनः अनुरोध है कि :-

DC/MH/1

1916

JS TE
JS HE
DST

14/6/19

18-6-19

- कार्यालय विशेष के कार्यों की सूचनाओं को जनता के लिए बोर्ड पर लगाया जाना जरूरी है उन्हें सूचीबद्ध करके उसी वेबसाइट पर भी नियमित रूप से डाली जानी चाहिए।
- लोक सूचना अधिकारियों की सूची सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाई जाये व इसमें कोई बदलाव हो तो इसकी सूचना भी सार्वजनिक की जाये।
- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1) के अनुरूप समस्त विभागों की वेबसाइट अनिवार्य रूप से बनवाई जायें तथा नियमित रूप से उसको अपडेट करवाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

उक्त निर्देशों की पालना समस्त लोक प्राधिकरण व उसके नियंत्रणाधीन संभाग/क्षेत्रीय कार्यालयों में सुनिश्चित की जावे।

कार्यालय शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
जयपुरी संख्या 2750
दिनांक 14/6/19

अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव को प्रेषित कर लेख है कि अपने अधीनस्थ लोक प्राधिकरण को उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित रावे।
5. नहानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
6. पुलिस आयुक्त जयपुर/जोधपुर।
7. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर/जिला पुलिस अधीक्षक।
8. सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

(डॉ. दिना शर्मा)

प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय
अजमेर

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 20(101/127/16)लोसु/आकाशि/2005/2471-2474 दिनांक:- 5-12-16


आदेश

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 8-7-16 ने संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग के पत्र क्रमांक प. 24(38)तशि/2012 दिनांक 20-6-16 के द्वारा D.B. PIL Petition No. 14730/2014 Suo Motu V/S State of Rajasthan Date of Order 8.9.2015 की छायाप्रति संलग्न कर सूचना का अधिकार 2005 के सेक्शन-4 में उल्लेखित स्वघोषणा की पालना सुनिश्चित करने हेतु भिजवाया गया है।

समस्त लोक सूचना अधिकारी एवं प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय राजस्थान को निर्देशित किया जाता है कि "सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अन्तर्गत" नाम से निम्नलिखित बिन्दुओं की सम्पूर्ण पालना में करते हुये अपने-अपने महाविद्यालय की विभागीय वेबसाईट पर तत्काल प्रभाव से अपलोड करें :-

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएँ :-

- (क) अभिलेखों को सूचीबद्ध, अनुक्रमणिकाबद्ध, कम्प्यूटरीकृत किया जाना।
- (ख) स्व-घोषणाएँ (17 बिन्दुओं) :-
 - (1) अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य।
 - (2) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य।
 - (3) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है।
 - (4) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।
 - (5) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख।
 - (6) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण।
 - (7) किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान हैं।
 - (8) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी, विवरण।
 - (9) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका।
 - (10) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो।
 - (11) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ, उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट।
 - (12) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरे सम्मिलित है।
 - (13) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियाँ।
 - (14) किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।
 - (15) सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित है।


 (डॉ. विष्णु शर्मा)

 प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय
अजमेर

(2)

- (16) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।
- (17) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा।
- (ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हो, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा।
- (घ) प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिये कारण उपलब्ध करायेगा।
- (2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरन्तर यह प्रयास होगा कि वह उप-धारा (1) के खंड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वेप्प्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इन्टरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिये उपाय करें जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिये इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े।
- (3) उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिये प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्रारूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिये सहज रूप से पहुँच योग्य हो।
- (4) सभी सामग्री को, लागूत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अंत्यतत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुँच योग्य होनी चाहिए। स्पष्टीकरण :- उप-धारा (3) और उप-धारा (4) के प्रयोजनों के लिये "प्रसारित" से सूचना पट्टों, समाचार पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इन्टरनेट या किसी अन्य माध्यम से जिसमें किसी लोक अधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित करना अभिप्रेत है।

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :- एफ 20(101/127/16)लोसू/आकाशि/2005/2471-2474 दिनांक:- 5-12-16

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1 राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 5(7)शिक्षा-3/2015 पार्ट दिनांक 8-7-16 के संदर्भ में।
- 2 संयुक्त शासन सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक प. 24(38)तशि/2012 दिनांक 20-6-16 के संदर्भ में।
- 3 उप सचिव, राजस्थान सूचना आयोग, झालाना लिंक रोड़, ओ.टी.एस. चौराहा, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302017
- 4 समस्त राजकीय महाविद्यालय (विधि महाविद्यालयों सहित), राजस्थान।


(डॉ. किमा शर्मा)
प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय
अजमेर

(आशुतोष ए.टी. पेडणेकर)
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

14.8.2019

आरटीआई

1. अपने संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य -
राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर में विधि त्रिवर्षीय स्नातक, पीजी डिप्लोमा (क्रिमिनोलॉजी, लेबर लॉ) एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम निश्चित अवधि में पूर्ण करवाना तथा संबंधित अकादमिक, सह-शैक्षणिक गतिविधियों को सम्पन्न करवाना।
2. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य
पाठ्यक्रम पूर्ण करवाना तथा समस्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक कार्यों को सम्पन्न करना।
3. विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं-
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जारी शिक्षा नीति के अनुसार।
4. अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान।
पाठ्यक्रम का समयबद्ध निर्धारण तथा विषय वार सारणी।
5. अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख-
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा जारी शिक्षा नीति के अनुसार।
6. ऐसे दस्तावेज के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं प्रवर्गों का विवरण-
नियमानुसार
7. किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं -
नियमानुसार
8. ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं जिनका भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिए गठन किया गया है और इस बारे में क्या उन बोर्ड, परिषदों समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण।
नियमानुसार
9. अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका-
राजस्थान राज्य सरकार द्वारा नियमों के अनुसार।


(डॉ. विभा शर्मा)
प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय
अजमेर

10. अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी हैं, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधित हो-

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा नियमों के अनुसार।

11. सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां, उपदर्शित करते हुये अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट-

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा बजट का आवंटन किया जाता हैं

12. सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्रहियों के ब्यौरें सम्मिलित हैं।

13. अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तकर्ताओं की विशिष्टियां-

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा नियमों के अनुसार।

14. किसी इलैक्ट्रॉनिक रूप में सूचना के संबध में ब्यौरें जो उसको उपलब्ध हो या उसके द्वारा धारित हो।


15. सूचना अभिप्राप्त करने के लिये नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिये अनुरक्षित है तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं-

राजस्थान राज्य सरकार द्वारा नियमों के अनुसार।

16. लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ।

डॉ. विभा शर्मा, प्राचार्य (कार्यवाहक) फोन न. 0145-2787594

17. ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए, प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा।


(डॉ. विभा शर्मा)
प्राचार्य
राजकीय विधि महाविद्यालय
अजमेर